nt>

- **RE: NOT PROROGUING THE FOURTEENTH**

SESSION OF 13^TH LOK SABHA AFTER ITS

ADJOURNMENT SINE DIE ON 23^RD DECEMBER, 2003.

Title: Regarding not proroguing Fourteenth Session of 13th Lok Sabha.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I rise to raise an objection, regarding the holding of this Session.

MR. SPEAKER: It is not an issue before us.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, it is a fact that the House was adjourned *sine die* on 23 December 2003, and *vande mataram* was also played here. The presumption was that the House would be prorogued with immediate effect. But that was not wilfully done. There was a wilful attempt on the part of the Government to deny the benefit to the Members of this House to get an Address from the President as per article 87 of the Constitution. We are entitled to that and that benefit has been denied wilfully for political purposes. They say that they are to hold an election. We do not stand in the way of elections, but the intentions of the Government are *mala fide.*

It may also be pointed out that the House seems to be in Session. If a claim is made that the House is in Session, then it is deemed to be in Session. The Government has no right to issue an Ordinance, as also the Government has no right to make any policy statements. But they have made several policy statements, all for the electorates. This is a clear case of breach of privilege of the House. It is a clear case where the Finance Minister has committed a breach of privilege in the House. ...(*Interruptions*) Sir, let me conclude.

Moreover, even after getting a notice for the Session, the Government in a hurry had a cabinet meeting; met the President; and gave an advice that the House should be dissolved on 6th February 2004. What is the meaning of holding the Session then?

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, it is a mockery.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : You could have done it at the end of the Session. Why is there such a trend before us? I do not stand in the way of the authority of the Prime Minister to advise the President for dissolution of the House, but that must be done in a model manner, in a civilised manner. But, if I may put it, you have done it in the most uncivilised manner.

MR. SPEAKER: Please sit down.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : It is very very unfortunate that such a situation has arisen in the Lok Sabha.

MR. SPEAKER: Please sit down. Shri Radhakrishnan, you have already made your point. Please sit down.

SHRI N.N. KRISHNADAS : The Government is bypassing the democracy and the Parliament.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, I would like to submit that I never expected such behaviour from Shri Atal Bihari Vajpayee who is an experienced parliamentarian. He ought to have made a parliamentary precedent, a healthy precedent, and a precedent, which are always commendable. But here, what he has done is unheard of and moreover Unparliamentary. It is like even taking the House to ransom.

So, I would request that please do not repeat such gimmicks on the House. We are elected people -- very much like the hon. Prime Minister -- who have the right, but you should have done it in a civilised manner. That is what you should have done.

MR. SPEAKER: You have made your point. Please sit down. Please make him sit down.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Moreover, everyday they are coming forward with ulterior motives. So, I strongly object the holding of the Session as a continuation of the previous Session, which was already adjourned *sine die* on 23rd December 2003.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस बारे में नोटिस है।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको इसी विाय पर शिवराज जी के बाद बोलने का मौका दूंगा।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, the Government can take a decision and advice the President of India to dissolve the House at any time, and we are not objecting to it.

Last time, the Session was adjourned *sine die*. After the Session is adjourned *sine die*, the President can prorogue the House and when the House is prorogued then a new House is called with a notice of say a few days more. Sir, had the House been prorogued, it would have been necessary for the President of India to Address the Members of the two Houses. In that Address, the President could have told the Members of the Parliament and the people of the country as to how the Government had performed; as to where the Government had failed, etc. The Members sitting on the Opposition benches could have showed it, and it would have been possible for the Government of India to tell -- if not in one year's time, at least in four months' time -- as to how they were going to conduct the Business of the Government, and how they were going to solve the problems, etc.

The Members sitting here should not have been denied this opportunity. They are saying that there is a feel-good factor. Are they afraid that this feel- good factor is going to disappear into thin air within a span of four or five days' time? Heavens would not have fallen if the President had addressed the Members of both the Houses. The country would have been informed as to how the Government had performed, and it would have given an opportunity to the Members sitting here to point out where they had committed the mistakes in policies, in implementation, in solving the problems of the people, etc. It could have really enhanced the prestige of the legislature, and it would not have reduced the prestige. Heavens would not have fallen if the President had spoken to the Members.

Sir, the only thing that would have happened is that this House would have sat for four or five days' more, and would have discussed this issue. Why was it not done? Why is this trick being played on the Parliament and on the Members of this House? Why is this kind of gimmick being played? Why is there an ugly haste in holding the elections? The Head of the Executive goes to the President before the House is convened, or before the House is going to sit and says that : "Look the House has to be dissolved on 6^{th}." Why are these things happening? What is the propriety in doing this?

If we are sitting here, then we would certainly take objection to these kinds of gimmicks inflicted by the Government on the Members of the Parliament sitting here and on the people also. What is it that they are afraid of? What is the issue that they do not want to be discussed on the floor of the House? Why is it that they are not allowing the Members to criticise the policies and the implementation of the Government?

We are objecting to it not simply because we feel that we are sitting here and we should object to that, but this is laying down the wrong conventions. This is laying down the conventions that are not going to be in the interest of the democratic system, the parliamentary system, or system of any kind. You cannot shut out the Members from criticising them. Anything done by them in order to achieve this objective is not in the interest of the democracy, in the interest of the parliamentary system, and it is not going to help the Government also.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): Sir, I want to raise an issue of national importance. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Sir, Shri Venkaiah Naidu announces the dates for elections, and Shri Pramod Mahajan announces the dates for dissolution....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Your issue is different. You are not on the same issue.

...(*Interruptions*)

SHRIMATI MARGARET ALVA : Shri Pramod Mahajan is becoming the Chief Election Commissioner!...(*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, 23 दिसम्बर, 2003 को शीतकालीन सत्र वंदेमातरम् के साथ समाप्त हुआ। उस समय लगता था कि अब निश्चित रूप से बजट सत्र होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार ने यह सत्र बुलाया है, यह बिल्कुल इम्प्रोपर है और अभी जैसे शिवराज जी ने कहा कि यह हमारी मान्य संसदीय परम्पराओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। राट्रपति जी का अभिभााण होता, सरकार क्या करना चाहती है, उसका लेखा-जोखा होता और प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता। हमारे संविधान में पांच साल के बाद चुनाव होने की व्यवस्था है। मैं नहीं जानता कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गईं जिनके चलते सरकार को चुनाव कराने की इतनी जल्दी पड़ गई। क्या सिर्फ यही मान लें कि तीन सूबों में आप बाई चान्स चुनाव जीत गये तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। अपने निजी हितों के लिए आप संसदीय परम्पराओं और संविधान का अपमान करने का काम कर रहे हैं।â€¦ (व्यवधान)आपके पास बहुमत था, आपकी सरकार चल रही थी और जो रचनात्मक, सकारात्मक सुझाव और सहयोग प्रतिपक्ष दे सकता था, उन महत्वपूर्ण सवालों पर प्रतिपक्ष आपको सहयोग कर रहा था। सरकार यह बताये कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके चलते इतनी जल्दी उसे चुनाव में जाने की पड़ गई। यह एक बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से हाउस बुलाया गया है, यह बिल्कुल इम्प्रोपर है, सरकार को इन सब सवालों पर अपनी सफाई देनी चाहिए।

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, the same Government which had been advocating for the fixed term of five years of Lok Sabha is now in such a hurry that it is denigrating all institutions, including this Parliament. They are bypassing this institution and announcing policy statements including gimmicks and sops amounting to more than Rs. 13,000 crore. Even one day before the sitting of House is to take place, they are announcing major policy statements with regard to sop on imports -- gold import, alcohol import, Ferrari import for one to two per cent population. Gimmicks are being committed. Frauds are being committed

Sir, if we go through the Currency and Finance Report of the Reserve Bank of India , it has explicitly said that there are reasons for serious concerns about the economy and the fiscal situation. And, this Government says about the feel-good factor! Unemployment is rising and the Government says about a feel-good factor! Industries are being closed but they say that it is a feel-good factor! Minorities are being killed and they say that it is a feel-good factor!

Sir, what is happening? They have committed the gravest impropriety. We did not expect that a leader of such stature, the Prime Minister, who has an experience of more than four decades, could allow such denigration of this august institution.

Sir, they have no authority to denigrate in such a manner and bypass this Parliament. This is a matter of great concern. We protest against it and we condemn such conduct. Thank you.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की धारा 87(1) की ओर मैं आपका ध्यान आकृट कराना चाहता हूं। जिसमें कहा गया है कि राट्रपति जी किसी वर्ा के प्रथम सत्र के प्रथम दिन संयुक्त सदनों को एड्रैस करेंगे। प्रेसीडेंट की स्पीच होगी, राट्रपति जी का अभिभााण होगा, उसके बाद लोक सभा का फिर से कार्य प्रारम्भ होगा, परन्तु प्रथम सत्र के प्रथम दिन राट्रपति जी का अभिभााण होगा। यह संविधान की धारा 87(1) में स्पट है। जब से यह संसद बनी है, उस समय से लेकर अभी तक हर साल चुनावी वर्ा में दो बार राट्रपति जी का अभिभााण होता है। साल की शुरूआत में और उसके बाद जब लोक सभा का गठन हो जाए तो उस सत्र की शुरूआत में अभिभााण होता है। लेकिन यह सरकार बहुत हरी में है, बहुत अफरा-तफरी में है और किसी कारण मदान्ध हो गई है, जिसके कारण यह संविधान का उल्लंघन कर रही है और चुनावी वर्ा में दो बार राट्रपति जी द्वारा अभिभााण करने का जो अधिकार था, यह धारा 87(1) द्वारा प्रदत्त राट्रपति जी के उस अधिकार का हनन कर रही है। एक प्रोरोग करने का उदाहरण सन् 1962 में मिलता है, जब उस साल से दूसरे साल के लिए प्रोरोग किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद जो सत्र बुलाया गया, उसमें राट्रपति जी का अभिभााण हुआ और साल के सत्र की शुरूआत मानी गई, लेकिन उस समय चीन से युद्ध की विशेा परिस्थिति थी। अभी कौन सी विशेा परिस्थिति है? इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, राट्रपति जी के अधिकार का हनन किया और संसद की अवमानना भी की। संसद में बजट आता है और टैक्स में जोड़ने-घटाने का सब काम कॉनफिडैन्स के साथ संसद के माध्यम से होता है। संसद के पहले ही इनका बयान आ रहा है, जैसे जाने वाली सरकार गलत-सच बोलकर जल्दी-जल्दी में कुछ कर दो और आने वाली सरकार की लायेबिलिटी बढ़ा दो जिसे आने वाली सरकार भोगेगी। क्या इनका मकसद है? फिर मैं पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट 1951 की धारा 14 की ओर आपका ध्यान आकृट करना चाहता हूँ। पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट की धारा 14 में कहा गया है कि :-

"लोक सभा की एक्सपाइरी डेट के पहले के छः महीने के बीच के शैड्यूल में कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। "

10 अप्रैल से लेकर 10 अक्तूबर तक छः महीने का समय बचता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण नहीं हुआ। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद ही चुनाव की घोाणा हो सकती है। चुनाव आयोग पर भी इनका दबाव है। मैं जानना चाहता हूँ कि 10 अप्रैल के बाद यदि लोक सभा का चुनाव होना है तो फिर पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट की धारा 14 के मुताबिक लोक सभा भंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोक सभा भंग करने का फैसला हो गया। उसके बाद यह भी फैसला इन्होंने कर लिया कि छः फरवरी को हम लोक सभा भंग करेंगे। ये लोक सभा को रस्म अदायगी की संस्था बना रहे हैं। रस्म के तौर पर वोट ऑन अकाउंट पास कराना चाहते हैं जिसकी अवधि तय हो गई कि लोक सभा छः तारीख को भंग करेंगे। जब छः फरवरी को भंग करनी है तो फिर बीच में इनको सत्र बुलाने की क्या ज़रूरत है? चुनाव में चलिये। ये जनता में बड़ा फील गुड फैक्टर प्रचारित कर रहे हैं। इस अवधि में जनता की आँखों में धूल झोंकने के लिए देश भर के सारे अखबार और मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपना फोटो छपवा रहे हैं। गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं। कैसे खंडन होगा? सदन की कार्यवाही चलती रहती तो हम लोग बोलते। सारे अखबार भरे हुए हैं, मीडिया को विज्ञापन देकर खरीदा जा रहा है और सारे अखबारों में गलत विज्ञापन आ रहे हैं। आपको किसने स्वीकृति दी? जब आप जाना चाहते हैं तो सीधा मैदान में चलिये। गलत प्रचार करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि कैसे लोक सभा भंग करो, जल्दी भंग करो। इनके पक्ष के कई सदस्यों ने हमारे यहां अप्रोच किया कि वाजिब बात उठनी चाहिए कि सवाल उठना चाहिए, क्या अफरा-तफरी इनको लगी हुई है, क्यों नहीं 10 अप्रैल के बाद चुनाव नियमित ढंग से हो सकता है। लेकिन इन्हें लगता है कि अभी भंग करो, भंग करने की तिथि पहले तय कर लो। उसके बाद रेल बजट - वोट ऑन अकाउंट, जनरल बजट - वोट ऑन अकाउंट। देश की समस्याओं से ये मुकाबला नहीं करना चाहते। इनकी घोाणाएँ उसी तरह की हैं जैसे जाने वाली एक सरकार आने वाली सरकार के लिए लायेबिलिटी बढ़ाकर जाती है या जैसे मिलिट्री रूल चंद वर्ाों में सब कुछ विनट कर देता है, उसी मिलिट्री वाले सिद्धांत पर ये चल रहे हैं कि नाश करके चल दो, आने वाली सरकार भोगेगी। इस पर साफ करके बताइए। संविधान का उल्लंघन, संसद की अवमानना, चुनाव आयोग पर दबाव डालना, ये सारे असंवैधानिक काम कर रहे हैं और मदांध, मदहोश हो गए हैं। इस प्रकार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों की सफाई होनी चाहिए।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, I have been asking repeatedly for permission to raise an issue of national importance. हमें तो आप मौका ही नहीं देते हैं। पहले इसका जवाब हो जाना चाहिए। इसमें मेरा कोई फील गुड फैक्टर नहीं है, मैं बता दूँ कि महिलाओं के साथ आप ऐसे करते रहते हैं। इस संसद में महिलाओं का बिल आया ही नहीं। हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे पास जानकारी है ; â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो विाय सदन के सामने है, क्या आपने उस पर नोटिस दिया है?

श्रीमती रेणुका चौधरी : सर, 14 हजार 500 करोड़ रुपए का घपला है।

अध्यक्ष महोदय : रेणुका जी, क्या आपने इसका नोटिस दिया है ?

श्रीमती रेणुका चौधरी : सर, सरकार जो ऐसे काम कर रही है, वह क्या किसी को नोटिस देकर कर रही है। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने जो किया है, उसका मेरे पास नोटिस है।

श्रीमती रेणुका चौधरी : सर, हमने तो इन्हीं से सीखा है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए रेणुका जी, आप जानती हैं कि किसी विाय को रेज करने के लिए पहले आपको नोटिस देना होता है। यदि आप इस विाय को रेज करना चाहती हैं तो मंगलवार को आप नोटिस दे दीजिए। मैं आपको इजाजत दे दूंगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी : सर, पब्लिक का पैसा है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि इसमें कौन सा फील गुड फैक्टर है। 14 हजार 500 करोड़ रुपए का घपला हो चुका है।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now, only what Shrimati Sushma Swaraj says will go on record.

*(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : रेणुका जी, मैं आपको परमीशन दूंगा। आप मंगलवार या बुधवार को इस इश्यू को रेज कीजिए।

श्रीमती रेणुका चौधरी : सर, यह सुप्रीमकोर्ट में फ्राइडे को नोटिस हुआ है। बैठे हुए मंत्रियों के नाम हैं। इसमें कौन सा फील गुड फैक्टर है ?

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR (MANGALORE): Sir, she is a senior Member of the House, but she is doing like this. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Yes, I am a senior Member of the House. But you understand that you have committed serious crimes. It has nothing to do with that; there is no seniority or juniority in what you have done. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have removed that from the record. I earlier said that only what Shrimati Sushma Swaraj says would go on record.

...(*Interruptions*)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : अध्यक्ष महोदय, आप क्यों रोक रहे हैं। वहां से कोई कुछ नहीं बोलता है। सब बैठे हुए हैं। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shrimati Margaret Alva, you are aware that there are rules in the House and we are doing according to the rules.

...(*Interruptions*)

***Not Recorded.**

अध्यक्ष महोदय : रेणुका जी, अगर आप इस विाय को रेज करना चाहती हैं, तो मैं आपको इजाजत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन रूल्स के मुताबिक आपको नोटिस देना होगा। On Tuesday or Wednesday you can bring up that issue; I have no objection in allowing you; absolutely I have no objection in allowing you to raise the issue.

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट की बैठक करने पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, क्या इसके लिए सरकार कोई नोटिस दे रही है ?

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : रेणुका जी, आप जीरो आवर का नोटिस देंगी, तो मैं आपको इस विाय को रेज करने के लिए समय अवश्य दूंगा।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You can give the notice in any form.

...(*Interruptions*)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुामा स्वराज) : अध्यक्ष जी, इस सदन के शायद सबसे वरिठ सांसद श्री राधाकृष्णन जी ने एक प्रश्न यहां उपस्थित किया। आदरणीय श्री शिवराज जी पाटिल, भाई श्री रामजी लाल सुमन, डॉ, रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री रूप चन्द पाल साहब ने उनका समर्थन किया है। चारों की टिप्पणियों से जो प्रश्न उभर कर आए हैं, वे दो हैं। पहला यह कि हमने सत्र का अवसान क्यों नहीं किया, हमने हाउस प्रोरोग क्यों नहीं किया और दूसरा यह कि हाउस प्रोरोग न कर के सदन की बैठक पुनः बुलाकर हमने राट्रपति अभिभााण से सांसदों को वंचित किया है। जहां तक रघुवंश बाबू के दूसरे प्रश्न का ताल्लुक है, उसका जवाब स्वयं श्री शिवराज पाटिल जी ने दे दिया है। जब उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री को लोक सभा भंग करने और चुनाव का समय चुनने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए मैं उसका जवाब नहीं देना चाहूंगी। जो दो अहम प्रश्न हैं, उनका उत्तर मैं देना चाहूंगी।

अध्यक्ष जी, वैसे मेरे पास कई पूर्व उदाहरण मौजूद हैं जब हाउस प्रोरोग किए बिना ही हाउस की बैठक कनवीन की गई, लेकिन मैं पूर्व उदाहरणों का हवाला देकर केवल प्रैसीडेंट कोट कर के अपने निर्णय को उचित नहीं ठहराऊंगी। हमने यह निर्णय क्यों लिया, मैं इसके तर्क आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बिना शब्दों को चबाए और बिना संकोच के, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने हाउस प्रोरोग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने पुनः जनादेश देने का मन बना लिया था। हमने सत्र अवसान इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोक सभा भंग कर के नए चुनाव कराना चाहते हैं। यदि अगली लोक सभा â€¦ (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Sir, I have a point. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I am not yielding. अध्यक्ष जी, मैंने पांचों टिप्पणियों को धैर्य पूर्वक सुना है। मेरा माननीय रेड्डी जी से निवेदन है कि वे सवाल बाद में पूछ लें।â€¦(*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY : Sir, the Prime Minister of India, before going to Pakistan, made a categorical statement that there was no idea to dissolve the Lok Sabha. If that was the case, how could the Minister now say that they were planning for it all along? There is a glaring contradiction between the public position taken by the Prime Minister, reiterated a number of times by the Prime Minister, and the position taken by the Minister on the floor of the House now. Let her address that contradiction.

MR. SPEAKER: Okay, you have made your point.

श्रीमती सुामा स्वराज : अध्यक्ष जी, मेरा बहुत विनम्रता से एक निवेदन है। पांचों टिप्पणियों को मैंने धैर्य से सुना है। आप कम से कम उनका जवाब तो धैर्य से सुन लें। उसके बाद कोई शंका रह जाती है, कोई प्रश्न रहता है तो जयपाल जी या अन्य कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर बोल ले, लेकिन पहले मुझे कम्प्लीट करने दें।â€¦(व्यवधान)जहां तक पोजिशन का सवाल है, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा और ऐसा नहीं कि अगर एक बार उन्होंने कहा था तो उसके बाद वे निर्णय नहीं कर सकते थे। मैं पूरी विनम्रता से कह रही हूं कि आप पहले मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रही थी कि हमने सत्र का अवसान इसलिए नहीं किया, क्योंकि हमने तय किया कि हम लोकसभा भंग करके चुनाव में जाना चाहते हैं। यदि अगली लोकसभा का गठन 31 मार्च से पहले हो जाता या हो सकता तो हम सीधे लोकसभा भंग करके चुनाव में चले जाते, लेकिन जो टाइम-टेबल बन रहा था, किसी भी तरह से, कितनी भी जल्दी चुनाव आयोग करता, लेकिन 31 मार्च से पहले अगली लोक सभा गठित नहीं हो सकती थी। इसलिए हमारे सामने दो विकल्प थे - एक विकल्प यह था,â€¦(व्यवधान)मेरा निवेदन इधर के लोगों से भी है।â€¦(व्यवधान)

श्री वी.धनञ्जय कुमार : आप बैठे-बैठे क्या बोलती जा रही हैं।â€¦(व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी : मैं खड़े होकर बोल लूंगी। लूट मची हुई है।â€¦(व्यवधान)आप क्या बोलते जा रहे हैं।â€¦(व्यवधान)आप मैदान में आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Both the hon. Members are requested to sit down.

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not use unparliamentary words. I would request all the Members to be patient and listen to the reply which is being given by the hon. Minister. Please do not disturb her. सुामा जी, आप बोलिए।

श्रीमती सुामा स्वराज : मुझे बोलने का वातावरण भी तो दीजिए।â€¦(व्यवधान)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : ...* महोदय,ये क्या बोल रहे हैं?â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I will remove all unparliamentary words after going through the records.

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have every right to reply. You can reply.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सुामा स्वराज : अध्यक्ष जी, इस तरह मैं कैसे बोलूं, पहले कम से कम वातावरण शांत हो। रेणूका जी, आप मुझे पांच मिनट बोलने का समय दें।â€¦(व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी : आपकी जन्म-पत्री मैं बदल दूंगी।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जन्म-पत्री बदलने का अधिकार ज्योतिाी का होता है, आपका नहीं। आप कैसे बदल सकती हैं?

â€¦(व्यवधान)

*Expunged as ordered by the Chair.

MR. SPEAKER: Now let us give an opportunity to her so that she could make her point. This is an important issue which has been raised by Shri Radhakrishnan.

श्रीमती सुामा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी कि अगर अगली लोक सभा 31 मार्च से पहले गठित हो सकती तो हमें सदन की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोकसभा भंग करके सीधे चुनाव में जाते, लेकिन चूंकि उसकी संभावना ही नहीं थी, 31 मार्च के बाद एक भी पैसा राजकोा से निकाला नहीं जा सकता,

इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम वोट ऑन एकाउंट लें। अब हमारे पास दो विकल्प थे - एक विकल्प जो शिवराजजी ने सुझाया और जो विपक्ष की नेत्री ने अपने पत्र में राट्रपति जी को लिख कर भेजा कि हम सत्र का अवसान करते, नया सत्र बुलाते, चूंकि वह र्वा 2004 का पहला सत्र होता, इसलिए महामहिम राट्रपति जी का अभिभााण होता। उस सत्र के बाद हम लोक सभा को भंग करते और चुनाव करवाते।

अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं कि राट्रपति जी का अभिभााण उनका स्वयं का भााण नहीं होता। राट्रपति जी का अभिभााण सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है। .. (*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य : वही हम सुनना चाहते थे।

श्रीमती सुामा स्वराज : मैं बता रही हूं। वास्तव में राट्रपति का अभिभााण सरकार की उपलब्धियों का विवरण होता है। उसमें न राट्रपति जी अपनी ओर से एक शब्द जोड़ते हैं, न घटाते हैं और न अपनी ओर से कोई सलाह डाल सकते हैं। उस अभिभााण को सरकार तैयार करती है, केबिनेट उसका अनुमोदन करती है और राट्रपति जी को पढ़ने के लिए भेजती हैं। वे अपने मुखारविन्द से उसे हूबहू पढ़ते हैं।

अध्यक्ष जी, उस राट्रपति के अभिभााण का एक अन्तिम पैरा भी होता है। पूरी उपलब्धियों का विवरण करदेने के बाद राट्रपति जी एक आखिरी पूरा पैरा पढ़ते हैं। मैंने पिछले तीन अभिभााण मंगाकर रखे हैं। मैं वह आखिरी पैरा पढ़कर सुनाती हूं। सन् 2001 में महामहिम राट्रपति जी ने कहा -

"माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है। इस सत्र में रेलवे तथा आम बजट से सम्बन्धित वित्तीय एजेण्डा के साथ-साथ बड़ी मात्रा में विधायी कार्य भी पूरा किया जाना है। इस समय लोक सभा में 36 और राज्य सभा में 40 विधेयक लम्बित हैं। चार अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक लाये जाने हैं। मुझे लगता है कि ि वशेा तौर पर आप यह देखना चाहेंगे कि भारतीय संसद के अमूल्य समय का सदुपयोग सभी नियत कार्यों को सम्पन्न करने में लगे। मैं आपके प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

सन् 2002 में उन्होंने कहा -

"माननीय सदस्यगण, आज आप बजट सत्र शुरू कर रहे हैं। रेल तथा आम बजट से सम्बन्धित वित्तीय कार्यों के अलावा पर्याप्त विधायी कार्य भी इस सत्र में किया जाना है। दो अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक बनाने की भी आवश्यकता है। आपके बहुमूल्य समय का सर्वोत्तम उपयोग निर्धारित कार्य को पूरा करने में लगे। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।"

सन् 2003 में उन्होंने कहा -

"रेल बजट और आम बजट से सम्बन्धित वित्तीय कार्यसूची के अलावा इस सत्र में बहुत से विधिक कार्य पूरे किये जाने हैं। मैं आशा करता हूं कि संसद के बजट सत्र और आगामी सत्र में पहले की तरह सार्थक सिद्ध होंगे। मैं आपके प्रयासों के लिए सफलता की शुभकामनाएं देता हूं।"

अध्यक्ष जी, हम वोट ऑन एकाउण्ट लेने आ रहे थे, बजट प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। हम पूरी उपलब्धियां लिखने के बाद महामहिम राट्रपति जी से क्या पढ़वाते? अन्तिम पैरा में वे कहते- "माननीय सदस्यगण, इस सरकार ने लोक सभा भंग करके नये चुनाव कराने का निर्णय किया है। आप सब पुनः जनादेश प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। मैं आप सब को जीत की शुभकामनाएं देता हूं।" मैं दावे से कहती हूं, विपक्ष की तरफ बैठे हुए मेरे साथी, जो आज हम पर दोाारोपण कर रहे हैं कि हमने राट्रपति का अभिभााण नहीं करवाया, उस दिन खड़े होकर हम पर इल्जाम लगाते कि हमने राट्रपति के पद का दुरुपयोग किया है।â€¦ (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : हम क्या करते, क्या न करते, इसका आप पहले से ही अनुमान लगा रही हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुामा स्वराज : अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पूरी सोच-समझ और विचार-विमर्श के बाद हमने यह तय किया कि चुनावी दंगल से महामहिम राट्रपति को ऊपर रखना चाहिए। हमने सोच-समझकर तय किया कि चुनावी अखाड़ा हमारा और आपका लगेगा। हम जनता के बीच में जाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और एक दूसरे का विरोध करेंगे। हम अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे, ये हमारी काट करेंगे और जनता फैसला करेगी। लेकिन महामहिम राट्रपति को इस चुनाव दंगल में हम नहीं उलझाएंगे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे अपेक्षा थी कि ये हमारी इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे, ये हमारी इस बात के लिए सराहना करेंगे कि हमने राट्रपति के पद को चुनावी दंगल में नहीं उलझाया, लेकिन मैं हैरान हूं कि ये हमें कठघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हमने राट्रपति का अभिभााण नहीं कराया। राट्रपति का अभिभााण न कराकर हमें क्या नुकसान था? दो दिन सत्र और बढ़ता तो बढ़ जाता। 29 जनवरी से पांच फरवरी तक सत्र हुआ है, यह आगे चला जाता। अगर पांच का कोई मुहूर्त था, तो दो दिन पहले हम हाउस को शुरू कर सकते थे, यानी 29 जनवरी की बजाय 27 जनवरी को शुरू कर लेते लेकिन हमने लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरुप एक स्वस्थ परम्परा कायम की। â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रथम सत्र में राट्रपति महोदय का अभिभााण न हुआ हो। यह सबूत है। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने भााण देकर अपना मुद्दा रखा है। अब आप उनको अपना मुद्दा रखने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उस समय हम सबूत नहीं दिखा सके थे। â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुामा स्वराज : जहां तक राट्रपति महोदय के अभिभााण की बात रही, संविधान की धारा 87 की पूर्ण पालना होगी। आप दो-तीन महीने रुक जायें। र्वा 2004 का वह पहला सत्र होगा। महामहिम राट्रपति जी आयेंगे और अभिभााण देंगे। आप चिंता न करें क्योंकि यही सरकार उनका भााण तैयार करेगी। â€¦ (व्यवधान)संसद का कोई स्वरूप चुनाव के बाद बदलने वाला नहीं है। â€¦ (व्यवधान)

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, is she replying to the point raised by us?.....(*Interruptions*)

श्रीमती सुामा स्वराज : जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, वे ही यहां बैठेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री होंगे और आप सब विपक्ष में बैठेंगे। राट्रपति महोदय अभिभााण के लिए आयेंगे और नव-निर्वाचित सदस्यों में ऊर्जा का संचार करेंगे। â€¦ (व्यवधान)मैं पुनः कहना चाहती हूं कि हमने यह निर्णय लेकर कोई गलती नहीं की,

बल्कि हमने भारतीय संसद के लोकतंत्र में एक नयी, उच्च और स्वस्थ परम्परा कायम की है। â€¦ (व्यवधान)

SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): You are living in a fool's paradiseâ€¦...(*Interruptions*)

श्रीमती सुामा स्वराज : मैं कहना चाहूंगी कि अगर राधाकृणन जी मेरी बात से संतुट हैं तो वे खड़े होकर कहें कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने एक स्वस्थ परम्परा कायम करने का काम किया है। â€¦ (व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I want to say something on this issue.

MR. SPEAKER: Now, the Minister has replied. The Opposition has made their stand clear on the issue.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले सुामा जी को â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: There should be no speech. You can ask only a clarification.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I have a point to make.

MR. SPEAKER: You may have a point to make, but you can ask only a clarification, if you want.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री जी का भााण होने के बाद कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे टोकिये मत। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का उत्तर आने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारे प्वाइंट को उन्होंने गलत बोला है, उसी प्वाइंट के बारे में मैं बोल रहा हूं। â€¦ (व्यवधान) First of all, I thank Shrimati Sushma Swaraj for her first election speech. आप सब गवाह हैं कि जब बिजनेस के बारे में फैसला होता है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, सुामा जी यहां मौजूद हैं, लॉस्ट सैशन 23 दिसम्बर को खत्म हुआ और 23 दिसम्बर से पहले बीएसी की मीटिंग में, मैं सुामा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय काफी बिजनेस पैंडिंग था। जब मैंने इस बारे में जिक्र किया कि इस बिजनेस को कैसे लिया जायेगा क्योंकि मुझे खबर है कि आप हाउस को भंग करके चुनाव करायेंगे तो सुामा जी ने बीएसी की मीटिंग में सबके सामने कहा कि कोई सवाल नहीं है, अक्टूबर तक सरकार चलेगी इसलिए बाकी का बिजनेस हम अगले सैशन में लेंगे। â€¦ (व्यवधान) Let it be very clear. She was very kind to say किअगले सैशन में सारे बिजनेस को एकोमोडेट करेंगे, आप चिंता मत करिये। After saying so, now she says that we made her to do so on that day. This is not correct. It is you who said that अगले सैशन में एकोमोडेट करेंगे। उनकी बात कहने के लिए आपने मन बना लिया है। This is betrayal and shock to the Parliament.

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.45 p.m.

13.53 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till forty-five minutes

past Fourteen of the Clock.

____